संयुक्त जांच आख्या

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या, 486/2023 प्रिया रघुवंशी बनाम उत्तराखण्ड सरकार में पारित आदेशों के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, किच्छा को सम्मिलित करते हुए संयुक्त जांच समीति का गठन करते हुए प्रकरण पर जांच के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा अपने पत्र 12750/न्याय अनु0–षष्ठम/XXI-(NGT)/ स्था0नि0/2023 दिनांक 22.08.2023 द्वारा उपजिलाधिकारी, किच्छा को नामित किया गया है। आख्या निम्नवत् है–

1. दिनांक 18.10.2023 को उपजिलाधिकारी, किच्छा, तहसीलदार किच्छा, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, किच्छा द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय वादी प्रिया रघुवंशी से सम्पर्क किये जाने का प्रयास किया गया, किन्तु वे अपने आवास पर नही थी, यद्यपि उनके परिजनों से सम्पर्क किया गया।
2. निरीक्षण के समय पाया गया कि नगर पालिका परिषद, किच्छा द्वारा वार्ड नं0–17, सिरौलीकला में नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथ्थक्कीकरण एवं कूड़ा विधायन संयत्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जो कि वार्ड नं0–17 के सिरौलीकला, किच्छा के खाता संख्या–00622 खसरा नं0–977 मिन में स्थित हैं।
3. उक्त भूमि श्री संतोष कुमार सिंह की वार्ड नं0–17 सिरौलीकला, किच्छा के खाता संख्या–00622 खसरा नं0–977 मिन के कुल रकवा 3.0030 है0 भूमि से कुल 2.0240 है0(पांच एकड़) नगर पालिका परिषद, किच्छा द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथ्थक्कीकरण एवं कूड़ा विधायन संयत्र की स्थापना हेतु कय की गयी है (संलग्नक–1)।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि में नगर पालिका परिषद, किच्छा द्वारा कूड़े का पृथ्थक्कीकरण एवं अन्य प्रोसेसिंग कार्य किया जाना है, जिसमें सेनेटरी लैण्ड फिल शामिल नहीं है। नगर निगम, हल्द्वानी को एकीकृत नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसके अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, किच्छा भी सम्मिलित है(संलग्नक–2)।

5. उक्त प्रस्तावित भूमि के पूरब में कृषि भूमि तथा लगभग 350 मीटर पर गौला नदी, पश्चिम में लगभग 150–200 मीटर पर वादी, प्रस्तावित भूमि के भू–स्वामी व एक अन्य का आवास है। उत्तर में कृषि भूमि तथा दक्षिण में मार्ग एवं कृषि भूमि तथा लगभग 250 मीटर से अधिक दूरी पर गौला नदी है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित भूमि के चारो ओर लगभग 200 मीटर पर कोई आबादी स्थित नहीं है।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से 200 मीटर के अन्तर्गत कोई तालाब, हाईवे, आबादी, पार्क, वाटर सप्लाई वेल्स आदि नहीं हैं। उक्त प्रस्तावित भूमि से लगभग 15 किमी. हवाई दूरी पर पन्तनगर एअर पोर्ट स्थापित हैं तथा प्रस्तावित स्थल बाढ प्रभावित क्षेत्र नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में प्रस्तावित भूमि नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथ्थक्कीकरण एवं कूड़ा विधायन संयत्र की स्थापना हेतु उपयुक्त है। उक्त स्थापना से पूर्व नगर पालिका परिषद, किच्छा को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यथा आवश्यक प्राधिकार प्राप्त किया जाना होगा।

(अधिशासी अधिकारी)
नगर पालिका परिषद, किच्छा।

(क्षेत्रीय अधिकारी)
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
काशीपुर।

(उपजिलाधिकारी)
किच्छा।

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, किच्छा (ऊधमसिंहनगर)

e-mail:-eokichha@gmail.com eokic-mb-uk@nic.in (दूरभाष / फैक्स – 05944–263020)

पत्रांक –603 /स्था0नि0/भूमि/2022–23 दिनांक –02-08-2023

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड
31/62 राजपुर रोड, देहरादून।

विषय– **नगरपालिका परिषद्, किच्छा क्षेत्रान्तर्गत कूड़ा विधायन एवं पृथकीकरण संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, ऊधमसिंहनगर के पत्र सं0 11730/स्था0नि0–XXI/ट्रचि0ग्रा0(पत्रा0सं0–19)/2022 दि0 22.07.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा नगरपालिका परिषद्, किच्छा क्षेत्रान्तर्गत कूड़ा विधायन एवं पृथकीकरण संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु शासकीय सर्किल दरों/शासकीय सर्किल दरों से कम दरों पर 05 एकड़ भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही अनुपालन आख्या मूल में संलग्नकों सहित प्रेषित की गई तथा इस सन्दर्भ में निकाय स्तर से भी अवगत कराने के निर्देश दिये गये है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगरपालिका परिषद्, किच्छा क्षेत्रान्तर्गत कूड़ा विधायन एवं पृथक्कीरण संयंत्र स्थापना हेतु 05 एकड़ भूमि क्रय कर दि0 27.07.2023 को रजिस्ट्री बैनामा पंजीकृत करा लिया गया है।

अतः उक्तानुसार आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सलंग्नक– यथोपरि

भवदीय

(गुरमीत सिंह)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, किच्छा

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, किच्छा
(ऊधमसिंहनगर)

प्रतिलिपि– अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सचिव महोदय, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी महोदय, ऊधमसिंहनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

O/c

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, किच्छा
(ऊधमसिंहनगर)

उत्तराखण्ड शासन

Online Public Data Entry Summary

UKPDE2023120402023

DISTRICT NAME :उधम सिंह नगर SRO :किच्छा

UKPDE2023120402023 From 16 Feb 2023 27-Jul-2023 11:06:48AM

Appointment Date: 27 Jul 2023 Appointment Time:11:30 a.m to 12:30 p.m Appointment TokenNo:1

सं - 2263/023

Mutation Office तहसील किच्छा

Deed/Article Type :Sale (Immovable)

Sub-Deed/Sub-Article :Sale(Agriculture)

Village/Location For Index :गुरुद्वारा क्षेत्र -2.ख.2 (महाराणा प्रताप चौक से प्रारम्भ पुरानी गल्ला मण्डी रोड तक) किच्छा वार्ड न० 17

Village/Location/Road Selected for Circle RateList :गुरुद्वारा क्षेत्र -2.ख.2 (महाराणा प्रताप चौक से प्रारम्भ पुरानी गल्ला मण्डी रोड तक)

Khewat : Khatoni :00622

Khasra :977 MIN

House/Flat No:

Area :2.0240 हैक्टेयर

Latitude 28.8961080000 Longitude 79.5209200000

Land Value :76,912,000.00 Construction Value :0.00

Transaction Value :40,000,000.00 Market Value :76,912,000.00

Advance :0.00 Lease Period :0.00 Avg. Rent :0.00

Stamp Duty :3,845,600.00 Regn Fees :25,000.00

Pasting Fees :100 Page :24

व्यवसायिक निर्माण का विवरण

क्र.सं	निर्माण का प्रकार	क्षेत्रफल

आवासीय निर्माण का विवरण

क्र सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	ह्रास वर्ष	रक़ा

निबंधक शुल्क का विवरण

क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक
1	Cash	25,000.00	

स्टाम्प शुल्क का विवरण

क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टांप विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	3,845,600.0(	IN-UK65659854707622V	27-Jul-2023	

S. Ramundri

S Ramundri

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, किच्छा
(ऊधम सिंह नगर)

Appointment Date: 27 Jul 2023 Appointment Time:11:30 a.m to 12:30 p.m Appointment TokenNo:1

Mutation Office तहसील किच्छा

पक्षकारों का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री संतोष कुमार सिंह पुत्र श्री स्व0 महेन्द्र सिंह निवासी वार्ड न0 17 ग्राम सिरौली कला तहसील किच्छा जिला उधम सिंह नगर		FARMER	BEOPK3730E	9756699909	ADHAAR : 9257 2083 2636
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री नगर पालिका परिषद किच्छा द्वारा अधिशासी अधिकारी गुरमीत सिंह पुत्र श्री स्व0 मदन सिंह निवासी मकान न0 260 ब्रहमपुरजट नरसंन कला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 247670	अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद किच्छा	GOVT. JOB	AAALN0545R	9368533723	ADHAAR : 2657 1998 3584
गवाह	श्री मो0 ताहिर मलिक पुत्र श्री ताजुद्दीन निवासी वार्ड न0 4 आवास विकास किच्छा जिला उधम सिंह नगर		GOVT. JOB		9837873075	ADHAAR : 3827 0977 8377
गवाह	श्री आदित्य रघुवंशी पुत्र श्री संतोष कुमार सिंह निवासी वार्ड न0 1 पुलभट्ट सिरौली कला तहसील किच्छा जिला उधम सिंह नगर		PRIVATE JOB		9756699909	ADHAAR : 2410 9484 1969

Deed Writer /Advocate Name :SUNIL KUMAR ADV.

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK65659854707622V
Certificate Issued Date	:	27-Jul-2023 10:50 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1208504/ UDHAM SINGH NAGAR/ UK-UN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK120850437488096658748V
Purchased by	:	NAGAR PALIKA PARISHAD KICHHA BY E O GURMEET SINGH
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	WARD NO- 17 GURUDWARA WARD SIROLIKALAN, KHET NO- 977 MIN, TEHSIL- KICHHA, DISTT- U S NAGAR
Consideration Price (Rs.)	:	4,00,00,000 (Four Crore only)
First Party	:	SANTOSH KUMAR SINGH SON OF MAHENDRA SINGH
Second Party	:	NAGAR PALIKA PARISHAD KICHHA BY E O GURMEET SINGH
Stamp Duty Paid By	:	NAGAR PALIKA PARISHAD KICHHA BY E O GURMEET SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	38,45,600 (Thirty Eight Lakh Forty Five Thousand Six Hundred only)

Please write or type below this line

0040736549

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, किच्छा
(ऊधम सिंह नगर)

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.

Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

विक्रय पत्र

जिसका सैटेलाईट कोर्डिएट नं0 28.896108,79.520920 है।

ई–स्टाम्प नं0–IN-UK65659854707622V

प्रतिफल–4,00,00,000/– भूमि मूल्य–7,69,12,000/– स्टाम्प–38,45,600/–

सरकारी दर–3,80,00,000/– लागू दर–3,80,00,000/– प्रति हेक्टयर

प्रयोजन–कूडा विधायन एवं पृथीकृरण संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु।

क्षेत्र– नगरीय, कम सं0 3 श्रेणी ग स्टाम्प सीट– 1, कुल पृष्ठ –24

सम्पत्ति का विवरण–स्थित–**वार्ड नं0 17 गुरूद्वारा वार्ड ग्राम सिरौली कला तहसील किच्छा जिला उधमसिंहनगर खाता सं0 00622 खसरा नं0 977 मिन कुल रक्बा 3.0030 हे0 भूमि जो विकेता प्रथम पक्षं के नाम वर्ग 1(क) सं0 भू0 मे दर्ज अभिलेख है। जिसके मध्ये खसरा न0 977 मिन रकवा 2.0240 हे0 (पॉच एकड) भूमि विक्रय की जा रही है। क्रेता द्वितीय पक्ष (नगरपालिका परिषद किच्छा) को भूमि क्रय करने की अनुमति कार्यालय जिलाधिकारी उधमसिंहनगर के पत्र** सं0 11730/स्था0 नि0–XXI–ट्रंचि0ग्रा0(पत्रा0सं0–19)/2022 दिनॉक 22 जुलाई 2023 समिति की आख्या कार्यालय के पत्र सं0 134/कै0का0/वै0स0/जि0अ0/2023–24 दिनॉक 09/जून 2023 के द्वारा शासन को प्रेषित की गई है। उक्त आख्या के क्रम मे अपर सचिव माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र सं0 I/130200/2023 दिनॉक 14/06/2023 को प्राप्त हो चुकी है।

हम कि संतोष कुमार सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह निवासी वार्ड न0 17 ग्राम सिंरौली कला तहसील किच्छा जिला उधमसिंहनगर प्रथम पक्ष (विक्रेता) व **नगर पालिका परिषद किच्छा द्वारा अधिशासी अधिकारी गुरमीत सिंह पुत्र स्व0 मदन सिंह निवासी मकान न0 260 ब्रहमपुरजट नरसंन कला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 247670** द्वितीय पक्ष (क्रेता) के हैं। यह कि मुझ प्रथम पक्ष की भूमि स्थित–**वार्ड नं0 17 गुरूद्वारा वार्ड ग्राम सिरौली कला तहसील किच्छा जिला उधमसिंहनगर खाता सं0 00622 खसरा नं0 977 मिन कुल रक्बा 3.0030 हे0** भूमि जो विकेता प्रथम पक्षं के नाम वर्ग 1(क) सं0 भू0 मे **दर्ज अभिलेख है। जिसके मध्ये खसरा न0 977 मिन रकवा 2.0240 हे0** (पॉच एकड) भूमि विक्रय की **जा रही है।**.....................................

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, किच्छा
(ऊधम सिंह नगर)

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 2263 वर्ष 2023

Sale (Immovable) प्रतिफल रु0 : 40,000,000.00
Sale(Agriculture) मालियत रु0 : 76,912,000.00

रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क	कुल योग	शब्द लगभग
रु0 25,000.00	रु0 100.00	रु0 240.00	रु0 25,340.00	1,000

श्री नगर पालिका परिषद किच्छा द्वारा अधिशासी अधिकारी गुरमीत सिंह पुत्र श्री स्व0 मदन सिंह निवासी मकान न0 260 ब्रहमपुरजट नरसंन कला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 247670 ने आज दिनांक 27 Jul 2023 समय मध्य 1PM व 2PM को कार्यालय उपनिबन्धक किच्छा मे प्रस्तुत किया ।

नगर पालिका परिषद किच्छा द्वारा अधिशासी अधिकारी गरमीत सिंह

उपनिबन्धक
किच्छा
27-Jul-2023

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री संतोष कुमार सिंह पुत्र श्री स्व0 महेन्द्र सिंह निवासी वार्ड न0 17 ग्राम सिरौली कला तहसील किच्छा जिला उधम सिंह नगर \ ने विक्रय धन मुबलिग रु0 40,000,000.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया । इस लेखपत्र का निष्पादन क्रेता श्री नगर पालिका परिषद किच्छा द्वारा अधिशासी अधिकारी गुरमीत सिंह पुत्र श्री स्व0 मदन सिंह निवासी मकान न0 260 ब्रहमपुरजट नरसंन कला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 247670 \ ने भी स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री मो0 ताहिर मलिक पुत्र श्री ताजुद्दीन निवासी वार्ड न0 4 आवास विकास किच्छा जिला उधम सिंह नगर तथा श्री आदित्य रघुवंशी पुत्र श्री संतोष कुमार सिंह निवासी वार्ड न0 1 पुलभट्टा सिरौली कला तहसील किच्छा जिला उधम सिंह नगर ने की।

उपनिबन्धक
किच्छा
27-Jul-2023

क्रेता द्वितीय पक्ष (नगरपालिका परिषद किच्छा) को भूमि क्रय करने की अनुमति कार्यालय जिलाधिकारी उधमसिंहनगर के पत्र सं0 11730/स्था0 नि0–XXI–ट्रंचि0ग्रा0(पत्रा0सं0–19)/2022 दिनॉक 22 जुलाई 2023 समिति की आख्या कार्यालय के पत्र सं0 134/कै0का0/वै0स0/जि0अ0/2023–24 दिनॉक 09/जून 2023 के द्वारा शासन को प्रेषित की गई है। उक्त आख्या के क्रम मे अपर सचिव माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र सं0 I/130200/2023 दिनॉक 14/06/2023 को प्राप्त हो चुकी है। जो उक्त सम्पत्ति के मालिक काबिज हैं जो ट्रस्ट, वक्फ सीलिंग शत्रु सम्पत्ति नहीं है एवं भार रहन से मुक्त तथा न्यायालयी स्थगनादेश एवं विवादों आदि से ग्रस्त नहीं हैं। कोई जोखिम निकली तो समस्त जिम्मेदारी विक्रेता व उनके वारिसान की होगी। जिसकी सीमा–**पूरब में नाली बाद भूमि संतोष कुमार सिंह है, पश्चिम में प्रेम कुमार, अनूप कुमार की भूमि है, उत्तर में हरियाणा फार्म की भूमि है, दक्षिण में रास्ता 4.57 मीटर का है।** जिसका मै प्रथम पक्ष मालिक काबिज व दाखिल चला आ रहा हूँ जिसको मुझे विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है मुझ प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त भूमि **नगर पालिका परिषद किच्छा द्वारा अधिशासी अधिकारी गुरमीत सिंह पुत्र स्व0 मदन सिंह निवासी मकान न0 260 ब्रहमपुरजट नरसंन कला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 247670** द्वितीय पक्ष उपरोक्त को मुवलिक 4,00,00,000/– रूपये (चार करोड रूपये) में विक्रय कर दी है, तथा कुल रकम मु0–4,00,00,000/–रूपये जरिये PFMS के नगरपालिका परिषद किच्छा के खाता सं0 7021367613 इंडियन बैक शाखा किच्छा से विक्रेता के खाता सं0 00840100017624 मे ट्रांस्फर करा दिये गये है। अब कुछ भी पाना शेष नहीं है। अव उक्त भूमि पर क्रेता (नगरपालिका परिषद किच्छा) का कब्जा दखल हो गया है तथा इसके मालिक द्वितीय पक्ष हो गये हैं। इसका दाखिल खारिज द्वितीय पक्ष उपरोक्त के नाम कर दिया जाये करवा लेवें अव उक्त भूमि से मुझ प्रथम पक्ष व मेरे वारिसानों को किसी प्रकार का वास्ता व सरोकार नहीं रहा और न ही भविष्य में कभी भी होगा। यह कि उक्त भूमि का पूर्व मे सरकारी सर्किल रेट 3,10,00,000/–रूपये था उक्त भूमि क्रय करने के सम्बध मे क्रय समिति का गठन किया गया है, क्रय समिति के द्वारा प्रस्तावक संतोष कुमार सिंह से नेगोशिएशन करने हेतु वार्ता की गई जिसके उपरान्त प्रस्तावक संतोष कुमार सिंह द्वारा अपनी उक्त भूमि 4,00,00,000/–रूपये मे देने के लिये लिखित रूप से प्रार्थना पत्र दिया गया। जिससे सरकार को 2.20 करोड रूपये राजस्व की वचत हुई है। वर्तमान मे उक्त भूमि की सरकारी सर्किल दर 3.80 करोड रूपये प्रति हे0 है। **प्रथम पक्ष का आधार नं0 9257 2083 2636 व पेन नं0 BEOPK3730E है। व द्वितीय पक्ष का आधार नं0 2657 1998 3584 व पेन नं0 AAALN0545R है।**

1– एन0एच0 74 किच्छा सितारगंज राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 2 किलोमीटर है।........................

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, किच्छा
(गुरमीत सिंह नेगी)

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 2263 वर्ष 2023

संतोष कुमार सिंह

नगर पालिका परिषद किच्छा द्वारा अधिशासी अधिकारी गुरमीत सिंह

मो0 ताहिर मलिक

आदित्य रघुवंशी

प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, किच्छा
27 Jul 2023

2– भूमि 4.57 मीटर चौडे मार्ग (चकरोड) पर स्थित है।

3– पक्षकारान अनुसूचित जाति/जनजाति के नहीं हैं।

4– पक्षकारान भारतीय नागरिक हैं जिन्होंने एक दूसरे की पहचान सूनिश्चित कर ली है तथा उत्तराखण्ड शासन के भू–कानूनों का उल्लघंन नहीं किया है।

5– विक्रीत भूमि क्लस्टर, नेवरहुड, टाउनशिप के अर्न्तगत नहीं आता है।

6– विक्रय पत्र में उल्लिखित तथ्यों के गलत पाये जाने पर जिम्मेंदारी स्वंय पक्षकारों की होगी।

7– प्रश्नगत सम्पत्ति REAL ESTATE ACT 2016 एवं यथा प्रख्यापित UTTARAKHAND REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT GENERAL RULES 2017 में परिभाषित REAL ESTATE PROJECT LAND के अन्तर्गत नहीं है तथा विक्रेता की व्यक्तिगत सम्पत्ति है एवं विक्रेता PROMOTOR/DEVELOPER अथवा REAL ESTATE AGENT नहीं है)

इसलिए यह विकय विलेख दोनों पक्षों की सहमति से तहरीर तकमील व रजिस्ट्री करा दिया कि सनद रहे और वक्त पर काम आवे पक्षकारो द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजो तथा कथनानुसार आलेख तैयार एवं टाईप किया सुनील कुमार एडवोकेट किच्छा फक्त तारीख 27/07/2023 ई0।

ह0 प्रथम पक्ष

ह0 द्वितीय पक्ष
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, किच्छा
(ऊधम सिंह नगर)

गवाहान–

1– मो0 ताहिर मलिक पुत्र श्री ताजुददीन निवासी वार्ड न0 4 आवास विकास किच्छा जिला उधमसिंहनगर जिनका आधार न0 3827 0977 8377 है।

2– आदित्य रघुवंशी पुत्र श्री संतोष कुमार सिंह निवासी वार्ड न0 1 पुल भटटा सिरौली कलां जिला उधमसिंहनगर जिनका आधार न0 2410 9484 1969 है।

Sunil Kumar
(Advocate)
Regn. No. UA-298/2006
Civil Court, Rudrapur
(U.S.Nagar) U.K.

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK65658805368683V
Certificate Issued Date	:	27-Jul-2023 10:49 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1208504/ UDHAM SINGH NAGAR/ UK-UN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK120850437489115479185V
Purchased by	:	SANTOSH KUMAR SINGH SON OF MAHENDRA SINGH
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	SANTOSH KUMAR SINGH SON OF MAHENDRA SINGH
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	SANTOSH KUMAR SINGH SON OF MAHENDRA SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Please write or type below this line

शपथ –पत्र

समक्षः श्रीमान उपनिबन्धक महोदय, किच्छा जिला उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)।

मैं कि संतोष कुमार सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह निवासी वार्ड न0 17 द्वारा ग्राम सिरौली कला तहसील किच्छा जिला उधमसिंहनगर (आधार न0–9257 2083 2636 मो0 न0–) का/के निवासी है। तथा शपथपूर्वक निम्नलिखित ब्यान करते/करती हूँ कि–

1. यह कि मुझ शपथकर्ता/शपथकर्ती का उपरोक्त नाम व पता सही व सत्य है।
2. यह कि मै शपथकर्ता/शपथकर्ती भारतीय नागरिक हूँ।
3. यह कि मुझ शपथकर्ता/शपथकर्ती के वार्ड नं0 17 गुरूद्वारा वार्ड ग्राम सिरौली कला तहसील किच्छा जिला उधमसिंहनगर खाता सं0 00622 खसरा नं0 977 मिन रकवा 3.0030 हे0 में से अपने अंश/भागानुसार रकवा 2.0240 हे0 भूमि विक्रय की जा रही है अवशेष रकवा 0.9790 हे0 उक्त सम्पत्ति मुझ शपथकर्ता की पैत्रिक/क्रयशुदा/दाननामा/वसीयतनामा एवं उत्तराधिकार के अर्न्तगत प्राप्त सम्पत्ति है। जो मेरे नाम 1417 फसली को दर्ज है (पुष्टि हेतू विवरण संलग्न है) मेरे द्वारा अपने अंश के स्वामित्व की भूमि/सम्पत्ति पर कब्जा दिया गया है, सरकारी एवं राजकीय भूमि पर कब्जा नही दिया गया है।
4. यह कि प्रश्नगत अंतरित की जा रही भूमि/सम्पत्ति को मेरे द्वारा पंजीकृत/प्रमाणित बैनामा/मुख्तारनामा के आधार पर विक्रय की जा रही है जो आज तक विधिवत प्रभावी है किसी प्रकार की वैधानिक कमी के लिए मैं/हम विक्रेतागण/उत्तरदायी होंगे।(पुष्टि हेतु मुख्तारनामा विलेख की प्रति संलग्न है।)
5. यह कि प्रश्नगत भूमि/सम्पत्ति को मुझ विक्रेता द्वारा प्रथम बार ही विक्रय किया जा रहा है।
6. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती को उपरोक्त सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त है। मुझ विक्रेता की विक्रीत भूमि/सम्पत्ति पर अध्यासन/स्वामित्व स्वच्छ एवं पवित्र है। विक्रीत भूमि का किसी न्यायालय में विवाद गतिमान नहीं है। और इस भूमि/सम्पत्ति पर किसी भी बैंक, सोसायटी, सरकारी व अर्द्धसरकारी संस्था या विभाग में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई ऋण इत्यादि देय नही है, और न ही कहीं बन्धक है। (यदि बन्धक है तो विवरण ....)
7. यह कि क्रय व विक्रय की जा रही सम्पत्ति किसी भी **Group Housing, Mixed Development Projects (Residential. Commercial** तथा **Industrial Project, Commercial Projects** अथवा **Plotted Development Projects** से सम्बन्धित है। (सम्बधित है तो विवरण ....)
8. यह कि मै शपथकर्ता/शपथकर्ती अनुसूचित जाति/जनजाति का/की नही हूँ।
9. यह कि मेरे द्वारा क्रेता से अन्तरित सम्पत्ति के सौदे की पूर्ण धनराशि प्राप्त कर ली गई है जिसका विवरण अंकित रजिस्ट्री बैनामें में अंकित करा दिया गया है।
10. विक्रीत भूमि/सम्पत्ति निम्न प्रयोजन में लाई जा रही है–
    क– कृषि ख– आवासीय ग–व्यवसायिक घ– औद्यौगिक ड– अन्य
11. विक्रीत भूमि/सम्पत्ति में निर्मित भवन का आच्छादित क्षेत्रफल .... वर्गमी0 है। जिसमें पूर्णतया मेरा स्वामित्व है।
12. विक्रीत भूमि/सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ सही और सत्य है।
13. विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहद्दी के अनुसार प्रत्येक दिशा में दर्शायी गयी सड़क/मार्ग की चौड़ाई 4.57 मीटर है। किसी भी स्तर पर गलत पाये जाने की दशा में मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए जो मुझे मान्य होगी।
14. यह कि शपथकर्ता द्वारा विक्रीत भूखण्ड/सम्पत्ति का कब्जा क्रेता को दे दिया गया है।
15. यह कि मेरी उक्त शपथ सही व सत्य है। किसी भी तथ्य के गलत एवं झूठा साबित होने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 472 व अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत मुझ विक्रेता पक्ष के विरूद्ध योजित वैधानिक कार्यवाही मुझे मान्य/स्वीकार होगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुझ विक्रेता पक्ष का होगा।

ह0 शपथकर्ता/शपथकर्ती

मैं शपथकर्ता/शपथकर्ती इस शपथ–पत्र के पैरा नं0–01 लगायत 15 की पुष्टि करता/करती हूँ कि उसमें कोई तथ्य गलत दर्ज नही किया गया है और न ही कुछ छुपाया गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

तस्दीक स्थान– किच्छा दिनांक–27/07/2023

ह0 शपथकर्ता/शपथकर्ती

आज दिनॉक 27/07/2023 को उपरोक्त शपथकर्ता संतोष कुमार सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह द्वारा मेरे समक्ष शपथ ली गई शपथ पत्र में वर्णित तथ्यो को मेरे द्वारा विकेता को पढकर सुना दिया गया है। शपथ पत्र को पढकर सुनाने कीकार्यवाही को मेरे द्वारा संरक्षित कर लिया गया है।

विक्रय भूमि का प्रारूप

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	विक्रेता का नाम	विक्रेता के नाम खतौनी मे दर्ज भूमि		विक्रय उपरांत विक्रेता के नाम अवशेष भूमि	सडक से दूरी	चौहद्दी
			खेत न0	रकवा			
1.	वार्ड नं0 17 गुरूद्वारा वार्ड ग्राम सिरौली कला	संतोष कुमार सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह	977 मिन	3.0030 हे0 विक्रय रकबा 2.0240 हे0	रकवा 0.9790 हे0	एन0एच0 74 किच्छा सितारगंज राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 2 किलोमीटर है।	**पूरब में नाली बाद भूमि संतोष कुमार सिंह है,** **पश्चिम में प्रेम कुमार, अनूप कुमार की भूमि है,** **उत्तर में हरियाणा फार्म की भूमि है,** **दक्षिण में रास्ता 4.57 मीटर का है।**

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, किच्छा
(ऊधम सिंह नगर)

नजरिया नक्शा

ग्राम– वार्ड नं0 17 गुरूद्वारा वार्ड ग्राम सिरौली कला तहसील किच्छा जिला उधमसिंहनगर

पूरब में नाली बाद भूमि संतोष कुमार सिंह है,
पश्चिम में प्रेम कुमार, अनूप कुमार की भूमि है,
उत्तर में हरियाणा फार्म की भूमि है,
दक्षिण में रास्ता 4.57 मीटर का है।

खसरा नं0 977 मिन रक्बा 2.0240 है0

नजदीक रोड व उससे दूरी– एन0एच0 74 किच्छा सितारगंज राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 2 किलोमीटर है।

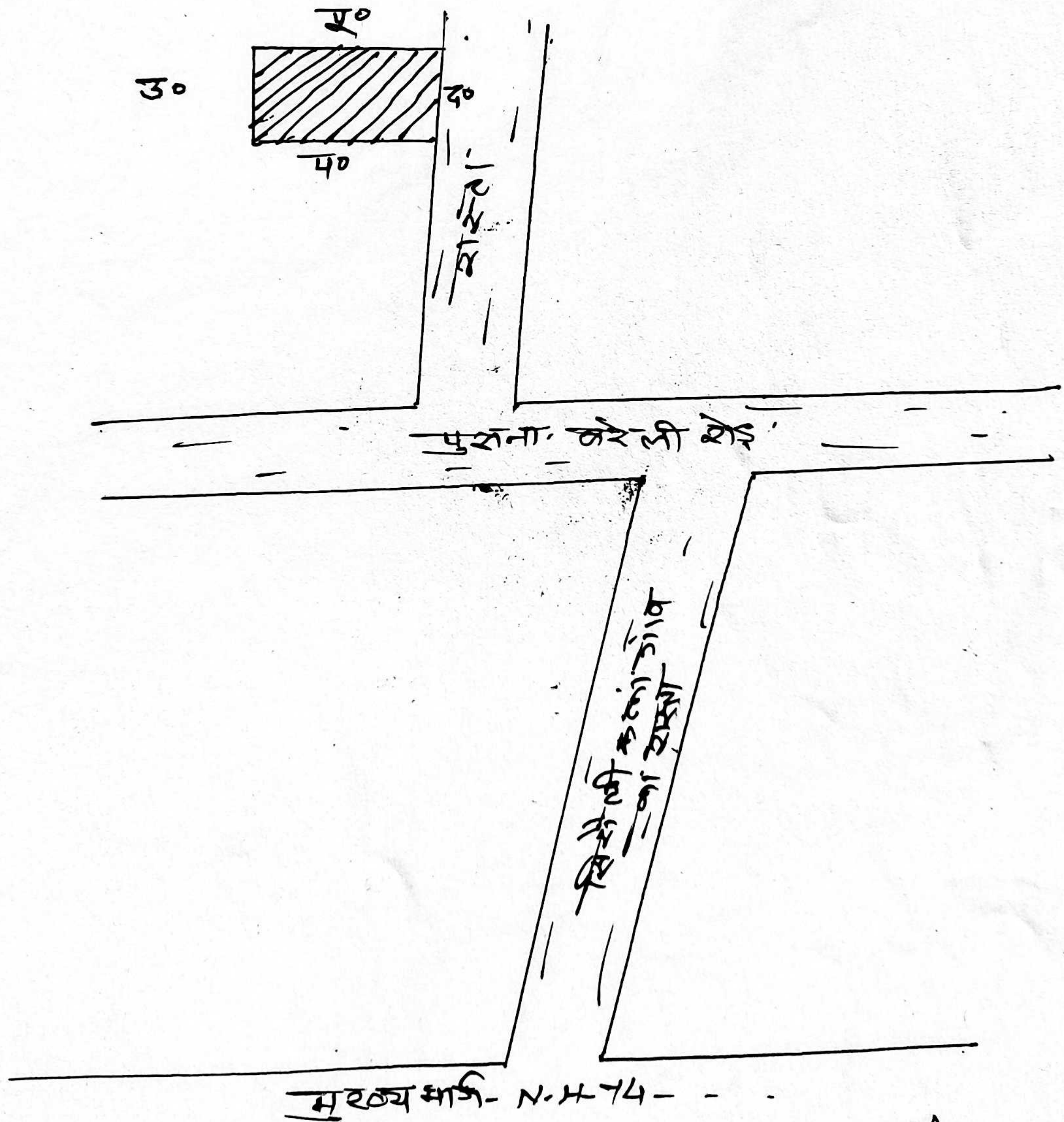

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, किच्छा

390

(3)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, किच्छा
(ऊधम सिंह नगर)

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32 ए के अनुपालन हेतु

पक्षकार का नामः– संतोष कुमार सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

पक्षकार के हस्ताक्षर

पक्षकार का नामः– गुरमीत सिंह पुत्र स्व0 मदन सिंह

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

ह0 प्रथम पक्ष

ह0 द्वितीय पक्ष
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, किच्छा
(ऊधम सिंह नगर)

पक्षकार के हस्ताक्षर
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, किच्छा

Sunil Kumar
(Advocate)
Regn. No. UA-298/2006
Civil Court, Rudrapur

बही संख्या 1 जिल्द 3,185 के पृष्ठ 371 से 394 पर क्रमाक 2263

पर आज दिनांक 27 Jul 2023 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक,किच्छा
27 Jul 2023

सलग्नक-2

Annexure-2

प्राप्त (३२४)

16/10/2017

F. No. 10-6/2017-IA-III
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(IA.III Section)

Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road, New Delhi - 3

Date: 10th October, 2017

MOH

To,

Mukhya Nagar Adhikari
Haldwani Nagar Nigam,
Nagar Palika Parishad, Haldwani,
District: Nainital - 263139, Uttarakhand
E Mail: info@nagarnigamhaldwani.com

Subject: Integrated Municipal Solid Waste Management Project at Haldwani - Kathgodam, District Nainital, Uttarakhand by M/s Haldwani Nagar Nigam - Environmental Clearance - reg.

Sir,

This has reference to your online proposal No. IA/UK/MIS/62412/2015 dated 9th February 2017, submitted to this Ministry for grant of Environmental Clearance (EC) in terms of the provisions of the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 under the Environment (Protection) Act, 1986.

2. The proposal for grant of environmental clearance to the project 'Integrated Municipal Solid Waste Management Project at Haldwani-Kathgodam, District Nainital, Uttarakhand promoted by M/s Haldwani Nagar Nigam' was considered by the Expert Appraisal Committee (Infra-2) in its meetings held on 12-14 April, 2017 and 21-24 August, 2017. The details of the project, as per the documents submitted by the project proponent, and also as informed during the above meeting, are under:-

(i) The project involves Integrated Municipal Solid Waste Management Project at Haldwani- Kathgodam, District Nainital, Uttarakhand promoted by M/s Haldwani Nagar Nigam.

(ii) As a part of the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM), Haldwani Nagar Nigam (HNN) has proposed treatment and disposal of MSW at Indira Nagar railway crossing on Sitarganj bypass, Haldwani.

(iii) Integrated Municipal Solid Waste Management Facility has been taken up to cater the Haldwani City, Bhimtal, Kichha, Lalkuan and Rudrpur under administrative control of Haldwani Nagar Nigam.

24/10/17

(iv) Haldwani town is one of the important city in Uttarakhand at the entrance of Kumaun region. It is one of the 83 municipalities of the State of Uttarakhand, spread over an area of 14.16 square km with approx. population of 171351 as per census 2011.

(v) Ministry of Urban Development, Government of India vide letter No. K14011/27/2013-UD-1, dated 08/11/13 approved the SWM project for 34.88 crore and had released 13.952 to Uttarakhand State Government.

(vi) The project will handle and dispose of 192 MT/Day Solid waste up to 2027 as estimated. The waste generated during operation shall be collected, segregated, transported, disposed and treated in a scientific manner.

(vii) As part of the project compost plant and Sanitary Landfill has to be developed in the 4 Hectare land, being provided by Forest Department. Total waste generation in all 5 cities is 192 MT/Day. Gaula River is at the distance of the 550 M in east direction. Landfill life for the said facility is 15 years.

(viii) Cost of the project: Rs. 35 crores.

(ix) ESZ: Nandhaur Sanctuary is 5.2 km/NE from the project site.

(x) Benefits of the project: For scientific disposal of Municipal Solid waste.

(xi) Employment potential-NA

(xii) ToR presentation was held on 21.12.2015 before SEAC, Uttarakhand. Committee has granted ToR vide No. 597/SEAC dated 07.01.2016.

(xiii) Public Hearing for the project was held on 01.12.2016 at Nagar Nigam Haldwani, Uttarakhand in the Chairmanship of Sh. Jaswant Singh Rathore, Additional District Magistrate, District Nainital.

3. The EAC, in its meeting held on 21-24 August, 2017, after detailed deliberations on the proposal, has recommended for grant of Environmental Clearance to the project. As per recommendations of the EAC, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change hereby accords Environmental Clearance to the project 'Integrated Municipal Solid Waste Management Project at Haldwani-Kathgodam, District Nainital, Uttarakhand promoted by M/s Haldwani Nagar Nigam, under the provisions of the EIA Notification, 2006 and amendments/circulars issued thereon, and subject to the specific and general conditions as under:-

PART A – SPECIFIC CONDITIONS:

(i) As proposed, air pollution control device viz. gas quencher; treatment with mixture of hydrated lime and activated powder for adsorption of partial acidity and VOCs (if any); bagfilter/ESP for removal of particulate matter; ventury scrubber followed by packed bed scrubber with caustic circulation to neutralize the acidic vapours in flue gas; and demister column for arresting water carry over will be provided to the incinerator. Online pollutant monitoring shall be provided as per CPCB guidelines for monitoring particulate matter, SO_2, NOx and CO from the incinerator stack. The periodical monitoring of Dioxins and Furans in the Stack emissions shall be carried out.

(ii) Analysis of Dioxins and Furans shall be done through CSIR – National Institute for Interdisciplinary Science and Technology (NIIST), Thiruvananthapuram or equivalent NABL Accredited laboratory.

(iii) The project proponents shall adhere to all conditions as prescribed in the Protocol for 'Performance Evaluation and Monitoring of the Common Hazardous waste treatment, storage and disposal facilities' published by the CPCB in May, 2010.

(iv) Incinerator shall be designed as per CPCB guidelines. Energy shall be recovered from incinerator.

(v) Sufficient number of Piezometer wells shall be installed in and around the project site to monitor the ground water quality in consultation with the State Pollution Control Board / CPCB. Trend analysis of ground water quality shall be carried out each season and information shall be submitted to the SPCB and the Regional Office of MoEF&CC.

PART B - GENERAL CONDITIONS

(i) The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the SPCB, State Government and any other statutory authority.

(ii) No further modification or expansion in the project shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment Forest and Climate Change. In case of deviations or alterations in the project proposal from those submitted to this Ministry for clearance, a fresh reference shall be made to this Ministry to assess the adequacy of conditions imposed and to add additional environmental protection measures required, if any.

(iii) The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. On all the sources of noise generation. The ambient noise levels shall conform to the standards prescribed under the EPA Rules, 1989 viz. 78 dBA (daytime) and 70 dBA (night-time).

(iv) A copy of the environmental clearance letter shall also be displayed on the website of the concerned State Pollution Control Board. The EC letter shall also be displayed at the Regional Office, District Industries centre and Collector's Office/ Tehsildar's office for 30 days.

(v) The funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and shall not be diverted for other purpose. Year-wise expenditure shall be reported to this Ministry and its concerned Regional Office.

(vi) Officials from the Regional Office of MoEF&CC, Dehradun who would be monitoring the implementation of environmental safeguards should be given full cooperation, facilities and documents/data by the project proponents during their inspection. A complete set of all the documents submitted to MoEF&CC shall be forwarded to the APCCF, Regional Office of MoEF&CC, Dehradun.

(vii) The Ministry reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.

(viii) All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department, the Forest Conservation Act, 1980 and the Wildlife (Protection) Act, 1972 etc. shall be obtained, as applicable by project proponents from the respective competent authorities.

(ix) These stipulations would be enforced among others under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and the EIA Notification, 2006.

(x) The project proponent shall advertise in at least two local Newspapers widely circulated in the region, one of which shall be in the vernacular language informing that the project has been accorded Environmental Clearance and copies of clearance letters are available with the State Pollution Control Board and may also be seen on the website of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change at http://www.envfor.nic.in. The advertisement shall be made within Seven days from the date of receipt of the Clearance letter and a

(vi) Ambient air quality monitoring shall be carried out in and around the landfill site at up wind and downwind locations.

(vii) The depth of the land fill site shall be decided based on the ground water table at the site.

(viii) Environmental Monitoring Programme shall be implemented as per EIA report and guidelines prescribed by CPCB for hazardous waste facilities. Periodical ground water/soil monitoring to check the contamination in and around the site shall be carried out.

(ix) The Company shall ensure proper handling of all spillages by introducing spill control procedures for various chemicals.

(x) All leachates arising from premises should be collected and treated in the ETP followed by RO. RO rejects shall be evaporated in MEE. Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) test to be performed on leachates.

(xi) The Company shall review the unit operations provided for the treatment of effluents, specially the sequencing of MEE after tertiary treatment, the source of permeate when no R.O. is recommended and the treatment of MEE condensate. The scheme for treatment of effluents shall be as permitted by the Pollution Control Board/Committee under the provisions of consent to establish.

(xii) On line real time continuous monitoring facilities shall be provided as per the CPCB or State Board Directions.

(xiii) Scrubber water, leachate water or wheel wash effluent shall be treated in the effluent treatment plant followed by RO to achieve zero liquid discharge.

(xiv) No non hazardous wastes, as defined under the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, shall be handled in the premises.

(xv) Gas generated in the Land fill should be properly collected, monitored and flared.

(xvi) Project Proponent shall develop green belt, as committed. At least 10 m thick greenbelt shall be developed in the periphery of hazardous waste facility.

(xvii) Project should ensure that the site is properly cordoned off from general movement and no unauthorized person or goods permitted to enter the premises. Necessary security provision should be made as a condition in the Authorisation under the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 to prevent unwanted access.

(xviii) Pre medical check-up to be carried out on workers at the time of employment and regular medical record to be maintained.

(xix) Emergency plan shall be drawn in consultation with SPCB/CPCB and implemented in order to minimize the hazards to human health or environment from fires, explosion or any unplanned sudden or non sudden release of hazardous waste or hazardous waste constituents to air, soil or surface water.

(xx) Rain water runoff from the landfill area and other hazardous waste management area shall be collected and treated in the effluent treatment plant.

copy of the same shall be forwarded to the Regional Office of this Ministry at Dehradun.

(xi) Any appeal against this clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

(xii) A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, Zilla Parisad/Municipal Corporation, Urban Local Body and the Local NGO, if any, from whom suggestions/ representations, if any, were received while processing the proposal. The clearance letter shall also be put on the website of the company by the proponent.

(xiii) The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF&CC, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO_2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company in the public domain.

(xiv) The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the respective Regional Offices of MoEF&CC by e-mail.

4. This issues with the approval of the Competent Authority.

(Kushal Vashist)
Director

Copy to:

1) The Secretary, Department of Environment, Government of Uttarkhand, Dehradun.
2) Additional Principal Chief Conservator of Forests (C), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office (NCZ), 25, Subhash Road, Dehradun, Dehradun - 248001.
3) The Chairman, Central Pollution Control Board Parivesh Bhavan, CBD-cum-Office Complex, East Arjun Nagar, New Delhi - 110 032.
4) The Member Secretary, Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board, 29/20, Nemi Road, Dehradun, Uttarakhand- 248001; Fax-0135-2718092.
5) Monitoring Cell, MoEF&CC, Indira Paryavaran Bhavan, New Delhi.
6) Guard File/ Record File/ Notice Board.

(Kushal Vashist)
Director